न्यायालयः— अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

पिपराही थाना कांड सं0—128 / 2020

Excise No-275/2020 (सरकार बनाम राजेश कुमार यादव)

20.05.2026 :— विचारण के एक मात्र अभियुक्त— राजेश कुमार यादव की ओर से हाजरी शपत पत्र एवं एक आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन को विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया

आवेदक अभियुक्त— राजेश कुमार यादव के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त पर प्रस्तुत वाद में शराब पीने का धारा—37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम—2016 का अभियोग हैं। धारा —37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद(संशोधित) अधिनियम— 2022 के अंतर्गत अर्थदण्ड का प्रावधान हैं। आवेदक अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है एवं अपना देश स्वीकार करते है। अतः इसे न्यूनतम अर्थदण्ड लेकर वाद का निष्पादन करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में धारा— 37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम— 2016 के अंतर्गत अभियुक्त— राजेश कुमार यादव के विरूद्व अभियोग है। अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करते है एवं शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन करते है कि यह उनका पहला अपराध है।

अतः धारा—37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम— 2022 के नियम 18(3) के आलोक में अलग विहित प्रपत्र— VII में आदेश पारित किया जाता हैं।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद)
शिवहर।

बाद में

20.05.2026 :– उपरोक्त आदेश के आलोक में अभियुक्त– राजेश कुमार यादव द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि मों0– 2,500 / –(दो हजार पाँच सौ रू0 मात्र) चलान के माध्यम से नजारत रसीद संख्या–..... 4323..... दिनांक–20.05.2026 एवं चलान सं0–207 / 26-27 दिनांक– 20.05.2026 के द्वारा जमा की गई है। तद्नुसार इस वाद में अभियुक्त के विरूद्व लगे आरोप धारा–37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद(संशोधित), अधिनियम–2022 का वाद निष्पादित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद)
शिवहर।

प्रपत्र–VII

आदेश – पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

न्यायालयः– अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

केश नं0– CX-275/2020 (शिवहर [illegible]-128/20)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016

1. अभियुक्त का नाम– राजेश साहनी
2. उम्र– 32
3. पिता का नाम– नागेन्द्र राय
4. पता– ग्राम - उकनी, थाना + जिला - शिवहर
5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान– तिथि - 3.7.20 समय - 22:45 PM
6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि– स्थान - परसौनी

~~पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद् द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।~~

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 3-7-20 को पहली बार अल्कोहल का उपभोग किया था और वह परसौनी (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय जॉच/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपयोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैनें उसका बयान दर्ज किया।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का वचन करता है? उसने दोषी होने का अभीवचन किया है। मैं प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्ध आरोप सुआधारित हैं ।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 की धारा 37 के अधीन 2500 रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

[signature]

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद),
शिवहर।
20/5/26

तिथिः– 20/5/26
स्थानः– शिवहर